

## फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटलिइज़ेशन मशिन

### प्रलिमिस के लिये:


फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटलिइज़ेशन मशिन, नेशनल ग्रीन ट्रबियूनल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फ्लाई ऐश नोटफिकेशन, रहिंद जलाशय।

### मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, प्रयावरण प्रदूषण और गरिवट, फ्लाई ऐश एवं संबंधित मुद्दे, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटलिइज़ेशन मशिन।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय हरति अधिकारण](#) (National Green Tribunal - NGT) ने 'फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटलिइज़ेशन मशिन' के गठन का निर्देश दिया है।



### प्रमुख बढ़ि

#### ■ परचिय:

- एनजीटी (NGT) कोयला ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के 'अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण' पर ध्यान देता है।
- उदाहरण के लिये [रहिंद जलाशय](#) में औद्योगिक अपशिष्टों और फ्लाई ऐश की निकासी।
- फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मशिन (Fly Ash Management and Utilisation Mission), अप्रयुक्त फ्लाई ऐश के वार्षिक

स्टॉक के नपिटान की नगिरानी के अलावा यह सुनशिचति करेगा की 1,670 मलियन टन (accumulated) फ्लाई ऐश का कम-से-कम खतरनाक तरीके से कैसे उपयोग करिया जा सकता है और बजिली संयंतरों द्वारा सभी सुरक्षा उपाय कैसे करिया जा सकते हैं।

- मशिन कोयला बजिली संयंतरों में फ्लाई ऐश प्रबंधन की स्थितिका आकलन करने और व्यक्तिगत संयंतरों द्वारा राख के उपयोग हेतु रोडमैप बनाने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिये एक महीने के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा।

- ये बैठकें एक वर्ष तक प्रत्येक माह आयोजित की जाएंगी।

- **लक्ष्य:**

- फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन तथा नपिटान हेतु समन्वय एवं नगिरानी करना।

- **प्रमुख और नोडल एजेंसी:**

- मशिन का नेतृत्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, बन और जलवायु परविरतन मंत्रालय, केंद्रीय कोयला और बजिली मंत्रालय के सचिव तथा मशिन से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव करेंगे।

- MoEF&CC के सचिव समन्वय और अनुपालन के लिये नोडल एजेंसी होंगे।

- **फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021 से भनिन:**

- फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021, [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम 1986](#) के तहत जारी की गई थी।

- कोयले या लग्निआइट आधारति ताप विद्युत संयंतरों से नकिलने वाली फ्लाई ऐश के भूमिया जल नकियों में डंप करने और नपिटान पर रोक लगाते हुए केंद्र ने ऐसे संयंतरों हेतु ऐश/राख का 100% उपयोग पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुनशिचति करना अनविराय कर दिया है तथा पहली बार 'प्रदूषक भुगतान' सदिधांत के आधार पर इसका अनुपालन न करने पर दंड व्यवस्था की शुरआत की है।

- नए नियमों का अनुपालन न करने वाले विद्युत संयंतरों पर हर वर्तीय वर्ष के अंत में प्रयोग में न आने वाली ऐश पर 1,000 रुपए प्रतिटन के हासिब से पर्यावरणीय मुआवज़े लगाया जाएगा।

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** द्वारा ताप विद्युत संयंतरों से एकत्र की गई राशि का उपयोग अनुपयोगी राख के सुरक्षित नपिटान के लिये करिया जाएगा। इसका उपयोग राख आधारति उत्पादों सहति राख के उपयोग पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिये भी करिया जा सकता है।

- ऐसे मामलों में जहाँ विभिन्न गतविधियों में फ्लाई ऐश का उपयोग करिया जा रहा है, बजिली संयंतरों को परयोजना स्थलों पर मुफ्त में फ्लाई ऐश पहुँचाना होगा।

- हालाँकि बजिली संयंतर राख की लागत और परविहन के लिये पारस्परकि रूप से सहमत शर्तों के अनुसार शुल्क ले सकता है, अगर वह अन्य तरीकों से राख का नपिटान करने में सक्षम है।

- दसिंबर 2021 की नई फ्लाई ऐश अधिसूचना में कोयला ताप विद्युत संयंतरों और उपयोगकरता एजेंसियों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग एवं कार्यान्वयन की प्रणाली के 'प्रवरतन, नगिरानी, लेखापरीक्षा और रपिएटन' का प्रावधान करिया गया है।

- यह अधिसूचना CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (PCC) को इसके तहत जनादेश के प्रभावी कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये जमिमेदार ठहराती है।

- हालाँकि इन वैधानिक नियामकों के साथ 'मशिन फ्लाई ऐश' प्रबंधन की जमिमेदारी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी देता है।

- अधिसूचना व्यक्तिगत थरमल पावर प्लांट के लिये अपने वेब पोर्टल पर राख उत्पादन और उपयोग के बारे में मासकि जानकारी अपलोड करना अनविराय करती है।

- दूसरी ओर NGT द्वारा नरिदेशति मशिन सभी हतिधारकों को जानकारी प्रदान करने के लिये तमाही आधार पर MoEF&CC की वेबसाइट पर सभी ताप विद्युत संयंतरों और उनके समूहों हेतु फ्लाई ऐश उपयोग में रोडमैप और प्रगति उपलब्ध कराएगा।

## फ्लाई ऐश

- **परचिय:**

- फ्लाई ऐश (Fly Ash) पराय: कोयला संचालित विद्युत संयंतरों से उत्पन्न प्रदूषक है, जसि दहन कक्ष से नकिस गैसों द्वारा ले जाया जाता है।

- इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसपिटिटर या बैग फलिटर द्वारा नकिस गैसों से एकत्र करिया जाता है।

- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसपिटिटर (ESP) को एक फलिटर उपकरण के रूप में परभिषिति करिया जाता है, जसिका उपयोग प्रवाहित होने वाली गैस से धूएँ और धूल जैसे महीन कणों को हटाने के लिये करिया जाता है।

- इस उपकरण को पराय: वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतविधियों के लिये प्रयोग करिया जाता है।

- संयोजन: फ्लाई ऐश में प्रयाप्त मात्रा में सलिकिंग डाइऑक्साइड ( $\text{SiO}_2$ ), एलयुमीनियम ऑक्साइड ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), फेरकि ऑक्साइड ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) और कैल्शियम ऑक्साइड ( $\text{CaO}$ ) शामल होते हैं।

- **गुण:**

- यह पोर्टलैंड सीमेंट के समान दिखता है परंतु रासायनिक रूप से अलग है।

- पोर्टलैंड सीमेंट का नरिमाण एक महीन पाउडर के रूप में संयोजनकारी सामग्री है जो चूना पत्थर और मटिटी के मशिरण को जलाने तथा पीसने से प्राप्त होता है।

- इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम सलिकेट, कैल्शियम एलयुमनिट और कैल्शियम एलयुमनोफेराइट शामिल हैं।

- **प्रमुख वशिष्टता:**

- एक सीमेंट युक्त सामग्री वह है जो जल के साथ मशिरति होने पर कठोर हो जाती है।
- **अनुपयोग:** इसका उपयोग कंकरीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बैस, मेटल रकिवरी और मनिरल फलिर आदि में किया जाता है।
- **हानकारक प्रभाव:** फ्लाई ऐश के कण ज़हरीले वायु प्रदूषक हैं। वे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं।
- ये जल के साथ मिलने पर भूजल में भारी धातुओं के निकिषालन का कारण बनते हैं।
- ये मृदा को भी प्रदूषित करते हैं और पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
- राष्ट्रीय हरति अधिकारण (NGT) द्वारा गठति संयुक्त समतिद्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-2021 के दौरान फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की सारांश रपोर्ट के अनुसार, पछिले कुछ वर्षों में इस उप-उत्पाद के सकल अल्प-उपयोग के कारण 1,670 मलियन टन फ्लाई ऐश का संचय हुआ है।

- **संबंधित पहलें:**

- वर्ष 2021 में '**नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन**' (NTPC) लिमिटेड ने फ्लाई ऐश की बकिरी के लिये 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) आमंत्रित किया था।
- 'नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन' ने फ्लाई ऐश की आपूरति के लिये देश भर के सीमेंट नियमाताओं के साथ भी गठजोड़ किया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नई नियमाण पौराद्योगिकियों (उदाहरण के लिये फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो अभिनव, प्रयोगरण के अनुकूल और आपदा के प्रतिलिपीले हैं।
  - यहाँ तक करिअजय सरकारों ने भी अपनी फ्लाई ऐश उपयोग नीतियाँ प्रस्तुत की हैं जैसे- इस नीतिको अपनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था।
- सरकार द्वारा फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की नियरानी के लिये एक वेब पोर्टल और "**ऐश ट्रैक**" (ASHTRACK) नामक एक मोबाइल आधारित एप लॉन्च किया गया है।
- फ्लाई ऐश और उसके उत्पादों पर **जीएसटी** की दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/fly-ash-management-and-utilisation-mission>